

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 100/2025

प्रार्थी

विकास अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड जिला सिरौही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच ग्राम पंचायत आमथला तहसील आबूरोड जिला सिरौही।
2. श्रीमती रतनकुंवर पत्नि श्री किशोरसिंह निवासी आमथला तहसील आबूरोड जिला सिरौही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :-

1. श्री नटवरलाल जीनगर, सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद सिरौही प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय

दिनांक 08.12.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना-पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत आमथला द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 04 दिनांक 12.07.2017 क्षेत्रफल 600 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जबाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से श्री नटवरलाल जीनगर, सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद सिरौही ने दौरान बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत आमथला द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया गया है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को जारी विक्रय विलेख में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 अनुसार प्रार्थना पत्र शुल्क प्राप्त किया जाकर कार्यवाही की जानी होती है परन्तु अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को जारी पट्टे में प्रार्थना पत्र शुल्क प्राप्त नहीं करते हुए कार्यवाही की गई है। इस प्रकार राजस्थान पंचायतीराज नियम 145 की पालना 2023 नहीं की गई है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को जारी विक्रय विलेख में मिसल संधारण नहीं करते हुए सीधे ही राजस्थान पंचायतीराज नियम 157(1) में पट्टा जारी कर दिया गया है, जबकि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(ख) के प्रावधानों अनुसार ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में 2016 से पूर्व 70 वर्षों के दौरान निर्मित आवासीय गृहों के पट्टा शुल्क 200/- रु जमा कर पट्टा जारी

लगातार पेज नं. 02

जिला कलक्टर, सिरौही

(विनियमतिकरण) किया जाता है, जिस हेतु नियम 145 में प्रार्थना पत्र नक्शा शुल्क व मौका निरीक्षण शुल्क प्राप्त कर प्रपत्र 21 में प्रार्थना पत्र दर्ज कर मिसल कायम करने के पश्चात आगामी पंचायत बैठक में राजस्थान पंचायतीराज नियम 146 के अन्तर्गत तीन वार्ड पंचों की मौका निरीक्षण कमेटी गठित कर मौका निरीक्षण एवं नक्शे का सत्यापन करवाया जाकर मौका निरीक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र में मौका निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त कर पंचायत बैठक में प्रस्तुत करते हुए राजस्थान पंचायतीराज नियम 147 के अन्तर्गत प्रस्तावित विक्रय/विनियमन का अन्तिम विनिश्चय करते हुए नियम 148 के अन्तर्गत प्रपत्र 22 में आपत्ति आमंत्रण सूचना जारी कर मौत बिरानो के समक्ष मौके पर व अन्य सदृश्य स्थलों पर चरपा की जाकर तामिली रिपोर्ट संलग्न कर मिसल संधारण की जाती है तथा नियत अवधि में उक्त विक्रय/विनियमन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर या प्राप्त आपत्तियों/आक्षेपों का राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 149 अन्तर्गत आपत्तियों की सुनवाई कर निस्तारण करने के पश्चात पंचायत बैठक में विक्रय/विनियमतिकरण का निर्णय करते हुए निर्धारित शुल्क पंचायत कोष में जमा करने के उपरान्त राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) अन्तर्गत प्रारूप 23 (क) में पट्टा जारी कर विनियमतिकरण किया जाना होता है। इस प्रकरण में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को जारी किये गये पट्टा संख्या 04 दिनांक 12.07.2017 में मिसल संधारण नहीं किये जाने से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा पट्टा जारी करने से राजस्थान पंचायतीराज नियम 145 से 149 तक की पूर्ण कार्यवाही नहीं करते हुए नियम 157(1) में पट्टा जारी किया गया है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को जारी पट्टा संख्या 04 दिनांक 12.07.2017 की पंचायत बैठक दिनांक 06.07.2017 के निर्णय की पालना में जारी किया जाना दर्शाया गया है, जबकि उक्त दिनांक को बैठक ही आयोजित नहीं की गई है। अतः अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो से सांठगांठ कर अवैध रूप से लाभ अर्जित करवाने एवं करने के उद्देश्य से षडयंत्र पूर्वक अपने पदीय कर्तव्यो/अधिकारो का दुरुपयोग करते हुए मूल्यांकन प्रतिभूमि पट्टो में मिथ्या प्रस्ताव व बैठक कार्यवाही का इन्द्राज किया है। यह कि उक्त निगरानी संख्या 123/2020 माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर सिरौही के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत निगरानी में माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी संख्या 1/2020 से 134/2020 तक की निगरानी में दिनांक 26.02.2021 को निर्णय पारित किया गया कि उक्त निगरानी संख्या 1/2020 में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियमों की पालना नहीं करने के कारण ग्राम पंचायत उपरोक्त निगरानीयों में मौका निरीक्षण कमेटी गठन कर मौका निरीक्षण कर राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 से 149 की पालना करते हुये पट्टो की छंटनी कर नियम विरुद्ध जारी पट्टो की पुनः निगरानी प्रस्तुत की जावें। माननीय न्यायालय के आदेश की पालना ग्राम पंचायत आमथला द्वारा नहीं किये जाने पर पंचायत समिति में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी के साथ तीन ग्राम विकास अधिकारी की संयुक्त कमेटी द्वारा निगरानी संख्या 123/2020 से सम्बन्धित पट्टे की भूमि/मकान का मौका मुआयना किया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार पट्टाधारक मूल रूप से गांव कारोली की निवासी है तथा पट्टे से सम्बन्धित स्थल का मौका मुआयना किया गया तो मौके पर दो दुकाने बनी हुई है, जो करीब 30 फीट लम्बाई एवं 20 फीट चौड़ाई में बनी हुई है। उक्त दोनों दुकानें रोड़ की मध्य सीमा से 18 फीट दूरी पर स्थित है तथा दुकानों में टेंट का सामान पडा है। पट्टेधारक द्वारा अपने दुकान के कब्जे के पक्ष में 2003 का बिजली बिल एवं 2019 का विद्युत विभाग का पट्टेधारक के नाम से एक मांग पत्र दिनांक 23.10.2019 एवं रसीद संख्या 59 दिनांक 01.11.2019 की पेश की गई। इसके अलावा पट्टे धारक के पास पुराना कब्जा होने का कोई पुख्ता सबुत नहीं मिला। पट्टाधारक मूल रूप से गांव कारोली के निवासी है। इस प्रकार पट्टा संख्या 04 दिनांक 12.07.2017 जो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 एक के तहत जारी किया गया, वह तथ्यों से परे एवं नियम विरुद्ध जारी किया गया है। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर सरपंच ग्राम पंचायत आमथला द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 04 दिनांक 12.07.2017 क्षेत्रफल 600 वर्गफीट को निरस्त करना फरमावें।

लगातार पेज नं. 03



14
जिला कलेक्टर, सिरौही

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियम 157(1) के तहत पुराने मकान का पट्टा जारी करने का प्रस्ताव पारित करने में कोई अनियमितता अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 के अन्तर्गत नियमानुसार प्रार्थना पत्र शुल्क प्राप्त कर कार्यवाही की गई है एवं बाद जाँच एवं सम्पूर्ण कार्यवाही कर अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में नियम 157 (1) के तहत 600 वर्गफुट का निर्मित मकान का पट्टा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में नियमानुसार जारी किया गया है। उक्त पट्टा जारी करने में नियमों की किसी प्रकार की कोई अवहेलना नहीं की गयी है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में पट्टा जारी करने से पूर्व नियमानुसार मिसल का संधारण किया गया है तथा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (ख) के प्रावधानों के अनुसार अप्रार्थी संख्या दो के निर्मित मकान ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में सन् 2016 से पूर्व अर्थात् पुश्तैनी कदिमी मकान होने से तथा पंचायतराज अधिनियम के तहत अप्रार्थी संख्या दो द्वारा पट्टा जारी करने के संबंध में नियमानुसार प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या एक को प्रस्तुत करने पर मिसल कायम की जाकर मौका निरीक्षण हेतु कमेटी का गठन किया गया है एवं कमेटी ने मौका निरीक्षण कर अपनी जाँच रिपोर्ट ग्राम पंचायत को प्रस्तुत की है एवं उसके पश्चात् नियमानुसार आपत्ति नोटिस जारी किये गये हैं एवं आपत्ति नोटिस की समयवधि में किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो से नियमानुसार 200 रुपये शुल्क प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या दो के हक में नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है तथा पट्टा जारी होने के पश्चात् उक्त पट्टे को नियमानुसार उपपंजीयक कार्यालय आबूरोड में पंजीबद्ध करवाया गया है। यह कि जाँच प्रतिवेदन के क्रम संख्या 03 के क्रम संख्या 123 पर अप्रार्थी संख्या दो का नाम वर्णित है, जिसमें उक्त मकान का उल्लेख किया है, उक्त मकान कई वर्षों पूर्व कदीम से बना हुआ है तथा अप्रार्थी संख्या दो के नाम से उक्त मकान में पूर्व में विद्युत संबंध व पानी का संबंध भी ले रखा है। अप्रार्थी संख्या एक ने पूर्ण जाँच कर अप्रार्थी संख्या दो के हक में पट्टा जारी किया है। उक्त पट्टा जारी करने में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक ने राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की पूर्ण पालना करते हुये पट्टा जारी किया गया है एवं जाँच प्रतिवेदन में भी अप्रार्थी संख्या एक सरपंच के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं था। तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी लकमाराम के विरुद्ध गम्भीर वित्तीय अनियमितता एवं गबन होने की शिकायत पर जाँच की गयी है एवं उक्त जाँच में लकमाराम द्वारा अनियमितता बरतने के तथ्य प्रमाणित माने हैं लेकिन इस अनियमितता को गलत रूप से आधार बताकर प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र गलत रूप से प्रस्तुत किया गया है, जो कानूनन परिपोषणीय नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या दो के हक में पुश्तैनी मकान का पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है। यह कि ग्राम पंचायत आमथला काफी पुराना गाँव है एवं सैकड़ों वर्षों से वहाँ लोग निवासरत हैं एवं अपने-अपने मकान बनाकर निवास करते आ रहे हैं। इन मकानात में विद्युत संबंध एवं पानी के कनेक्शन भी कई वर्षों पूर्व ले रखे हैं। नगर सुधार न्यास आबू अभी बना है, लेकिन अप्रार्थी संख्या दो का मकान कदीम से पुश्तैनी बना हुआ है। ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय व मोर्डन इन्ड्युलेटर फ़ैक्ट्री का एक परिधि एरिया में है एवं उसमें बसी हुई है। निर्मित मकान जो 2016 से पूर्व का बना हुआ है। उसका राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत नियमानुसार 200 रुपये शुल्क लेकर नियम 157 (1) के तहत पट्टा जारी करने का प्रावधान है। उसी की अनुपालना में नियमानुसार अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक ने उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व प्रस्ताव संख्या दो नियमानुसार पारित किया गया है, उस प्रस्ताव को आज तक प्रार्थी ने कभी भी चुनौती नहीं दी है जिसके अस्तित्व में रहते उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र कानूनन परिपोषणीय नहीं है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो के हक में पट्टा को उपपंजीयक कार्यालय में नियमानुसार पंजीयन करवाया गया है। उक्त पंजीयनशुदा



दस्तावेज को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त करवाये बगैर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र कानूनन परिपोषणीय नहीं है। यह कि प्रार्थी ने श्रीमान के न्यायालय में इसी पट्टे को निरस्त करवाने के लिये एक निगरानी प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जो निगरानी संख्या 123/2020 पर दर्ज रजिस्टर किया गया था तथा इसी निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ कुल 134 निगरानी प्रस्तुत की गई थी, जिनका एक साथ निर्णय दिनांक 26.02.2021 को कर ग्राम पंचायत आमथला द्वारा जारी 134 पट्टों को पुनर्विचारार्थ प्रेषित करना न्यायहित में उचित मानते हुए प्रार्थी एवं ग्राम पंचायत आमथला को निर्देश दिए थे कि वे कमेटी गठित कर नियम 148 एवं 149 के अनुसार प्राप्त आक्षेपों का निस्तारण कर प्रत्येक आवेदक की अलग-अलग गिसल संधारित कर तीन माह में नियमानुसार एवं नियम विरुद्ध की श्रेणी में छांट कर कार्यवाही करें, लेकिन प्रार्थी द्वारा श्रीमान के न्यायालय की किसी प्रकार से कोई पालना नहीं की एवं गलत कथनों के आधार पर अप्रार्थी को हैरान पेशान करने के लिये यह निगरानी प्रार्थना पत्र गलत रूप से प्रस्तुत किया है, जो कानूनन परिपोषणिय नहीं है। उक्त पट्टे के संबंध में पूर्व में श्रीमान द्वारा पारित आदेश की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त द्वितीय निगरानी प्रार्थना पत्र कानूनन परिपोषणिय नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी संख्या दो मय खर्च हर्जे खारिज कराना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जबाव एवं न्यायालय पत्रावली का भलिभौति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :-

अप्रार्थी संख्या दो को उक्त पट्टा संख्या 04 दिनांक 12.07.2017 क्षेत्रफल 600 वर्गफीट सरपंच ग्राम पंचायत, आमथला द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार-

157.-पुराने गृहों का विनियमितिकरण- जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का काब्जा रखते हैं और पट्टा जारी कराने के इच्छुक वहाँ उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा-

1. 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अधधीन रहते हुए 25 प्रतिशत सनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए सनिर्मित क्षेत्रफल:
- क. इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में = 100 रूपये सनिर्मित पुराने गृहों के लिए।
- ख. (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान) = 200 रूपये सनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत आमथला द्वारा दिनांक 06.07.2017 को प्रस्ताव संख्या 02(204) पारित किया गया, जिसकी पालना में अप्रार्थी संख्या दो को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 उपनियम (1) के अन्तर्गत विक्रय विलेख जारी किया गया था। प्रार्थी का मुख्यतः तर्क है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में विक्रय विलेख जारी करते समय राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 से 149 की पालना नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा ग्राम पंचायत में पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के बाद की समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत के स्तर पर ही सम्पन्न


की गई है और उक्त विक्रय विलेख जारी करते समय राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 से 149 की पालना किए जाने का दायित्व भी ग्राम पंचायत का ही था और ग्राम पंचायत आमथला द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 से 149 की पालना नहीं किया जाना भी ग्राम पंचायत के रत्तर पर ही की गई भूल कारित किया जाना पाया जाता है। इसके अलावा पट्टा जारी करते समय अप्रार्थी से प्रार्थना पत्र शुल्क प्राप्त करना एवं मिसल संधारण करने का दायित्व भी ग्राम पंचायत का ही है, जिसके लिए अप्रार्थी संख्या दो को उत्तरदायी ठहराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) की तहत विक्रय विलेख प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखते हुए भी अप्रार्थी संख्या एक द्वारा नियम विरुद्ध विक्रय विलेख जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन तो किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) की तहत विक्रय विलेख प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है, परन्तु उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो किस प्रकार से राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के विक्रय विलेख प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है और न ही उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड द्वारा उक्त वादग्रस्त पट्टा संख्या 04 दिनांक 12.07.2017 के सम्बन्ध में पूर्व में निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जो निगरानी प्रार्थना पत्र संख्या 123/2020 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद सुनवाई पक्षकारान दिनांक 26.02.2021 को निर्णय पारित कर ग्राम पंचायत आमथला द्वारा जारी वादग्रस्त 134 पट्टों के सम्बन्ध में एक साथ निर्णय पारित कर प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड एवं ग्राम पंचायत आमथला को निर्देशित किया गया था कि ग्राम पंचायत आमथला द्वारा जारी उक्त वादग्रस्त पट्टों के सम्बन्ध में कमेटी गठित कर नियम 148 एवं 149 के अनुसार प्राप्त आक्षेपों का निस्तारण कर प्रत्येक आवेदक की अलग-अलग मिसल संधारित कर पट्टों को तीन माह में नियमानुसार एवं नियम विरुद्ध की श्रेणी में छाँटे एवं जो पट्टे नियम विरुद्ध है, उनकी निगरानी प्रस्तुत करें, परन्तु इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.02.2021 की पालना में प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड एवं ग्राम पंचायत आमथला द्वारा ना तो निर्धारित तीन माह में कमेटी गठित की गई है और ना ही नियम 148 एवं 149 के अनुसार प्राप्त आक्षेपों का निस्तारण कर प्रत्येक आवेदक की अलग-अलग मिसल संधारित की गई है। बल्कि प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड द्वारा पूर्व में प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र के कथनों के आधार पर ही पुनः यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि सरपंच ग्राम पंचायत आमथला द्वारा जारी वादग्रस्त पट्टों के सम्बन्ध में जांच प्रतिवेदन किस आधार पर तैयार किया गया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पंचायत समिति आबूरोड में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी के साथ तीन ग्राम विकास अधिकारियों की संयुक्त कमेटी द्वारा उक्त वादग्रस्त पट्टे से सम्बन्धित भूमि/मकान का मौका मुआयना किया गया तथा मौका रिपोर्ट अनुसार पट्टे से सम्बन्धित स्थल पर मौके पर दो दुकाने बनी हुई है, जो करीब 30 फीट लम्बाई एवं 20 फीट चौड़ाई में बनी हुई है, जिनका वर्ष 2003 का बिजली बिल एवं वर्ष 2019 का विद्युत विभाग का पट्टेधारक के नाम से एक मांग पत्र दिनांक 23.10.2019 एवं रसीद संख्या 59 दिनांक 01.11.2019 की अप्रार्थी संख्या दो द्वारा पेश की गई। जहां तक उक्त पट्टे का रारते में बने होने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में श्री अचलसिंह सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड एवं श्री आर्यन भारद्वाज ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत आमथला द्वारा दिनांक 01.12.2025 को तैयार की गई मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो को जारी उक्त वादग्रस्त पट्टे से सम्बन्धित भूखण्ड वर्तमान में सी.सी. रोड से करीब 7 फीट की दूरी पर स्थित है, जबकि



उक्त वादग्रस्त भूखण्ड के सामने स्थित विद्यालय भवन की परिधी सी.सी. रोड से सटकर बनी हुई है। अतः उक्त मौका रिपोर्ट एवं इसके साथ संलग्न नजरी नक्शे के अवलोकन से उक्त वादग्रस्त पट्टे से सम्बन्धित भूखण्ड रास्ते से दूर स्थित होना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड द्वारा इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र संख्या 01/2020 से 134/2020 में पारित आदेश दिनांक 26.02.2021 की पालना नहीं की गई है एवं प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड द्वारा पूर्व में प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र के कथनों के आधार पर ही पुनः यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है, जिसके सम्बन्ध में प्रश्नगत पट्टों की विधिकता, अचिन्त्य व अनियमितता के सम्बन्ध में परीक्षण किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णय पारित किया जा चुका है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2025 को खुले न्यायालय में डिकटेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(अल्पा चौधरी)

जिला कलक्टर, सिरोही